तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./5483/2000/टोंक सरकार बनाम रूकमा	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित –

श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री जे.के.पारीक, अधिवक्ता, अप्रार्थी

–आदेश–

दिनांकः– 01.08.2025

यह रेफरेन्स जिला कलक्टर, टोंक द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 20–11–2000 से राजस्व मण्डल में प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, टोंक ने धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3143 रकबा 03 बिस्वा भूमि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2028–2047 में बिला लगानी गैर मुमकिन चाह दर्ज रिकार्ड भूमि थी। जिसका आवंटन तहसीलदार, टोंक द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अप्रार्थी को किया गया है और इसी आदेश की पालना में नामांतकरण सख्या 448 दिनांक 27–11–1990 को दर्ज किया गया है। जो नियम विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। आराजी जैर जो सिवायचक गैर मुमकिन चाह भूमि को जरिये आवंटन प्रदान नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 20–11–2000 से प्रार्थनापत्र रेफरेन्स स्वीकार कर विवादित आराजी अप्रार्थी नाम से हटाई जाकर पुनः सिवायचक राजकीय अभिलेख में दर्ज कराने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया गया है।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में संवत् 2028–47 में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन चाह दर्ज थी। तहसीलदार टोंक द्वारा कब्जे के आधार पर आवंटित/नियमन करने के आदेश प्रदान किए गए है जबकि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप गैर मुमकिन चाह दर्ज रिकार्ड रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04–06–1965 के माध्यम से ऐसी भूमियों के नियमन हेतु प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./5483/2000/टोंक सरकार बनाम रूकमा	नम्बर व तारीख

प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि 31–05–1970 तक की गई थी। जबकि अप्रार्थी द्वारा आराजी जैर के नियमन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 01–11–1990 को प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, टोंक द्वारा दिया आदेश दिनांक 13–11–1990 क्षेत्राधिकार से बाहर था तथा उक्त आदेश की पालना में दर्ज किया गया नामान्तरणकरण संख्या 448 दिनांक 27–11–1990 प्रारम्भ से ही शून्य एवं निरस्त योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिशंषित रेफरेन्स विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में है, जिसे स्वीकार किया जाये।

विद्धान अधिवक्ता अप्रार्थी का मुख्य तर्क है कि हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निजी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका उन्हें अधिकार हासिल नहीं है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के विधिवत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार, टोंक द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त यह पाये जाने पर कि वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संवत् 2009 ता 2046 तक सिंचाई कर रहा है तथा इस तरह के कुएं से सिंचाई नहीं की जा सकती है। उक्त आधार पर कुएं की भूमि के नियमन के आदेश विधि सम्मत् तरीके से प्रदान किये गये है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी को विधिवत आवंटित भूमि रही है तथा आवंटन पश्चात् नामान्तरणकरण संख्या 448 दिनांक 27–11–1990 दर्ज रिकार्ड हो चुका है जिसकी अपील की रेमिडी उपलब्ध है तो वहां रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है और रेफरेन्स मियाद बाहर पेश किए जाने से भी चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विधिवत् आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना विधि सम्मत् नहीं माना जा सकता। इसलिए इस मामले में रेफरेन्स का जो निर्णय किया गया है, वह विधि विरूद्ध है। अतः यह रेफरेन्स खारिज किया जावे। विद्धान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1977 पेज 461, आरआरटी 2013 पार्ट I पेज 526, आरबीजे 2016 पेज 491, आरआरटी 2022 पार्ट II पेज 1360, आरबीजे 1997 पेज 474 व आरआरडी 2005 पेज 365 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

हमने उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में हमने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हमनें वादग्रस्त भूमि ग्राम गर्बी टोंक के खसरा नम्बर 3143 रकबा 03 बिस्वा भूमि के बाबत् आवंटन हेतु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28–08–1987 को प्रस्तुत किया गया, का अवलोकन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी स्वयं के द्वारा वादग्रस्त भूमि का स्वरूप गैर मुमकिन चाह अंकित करते हुए उक्त कुएं की भूमि सिवायचक बिना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./5483/2000/टोंक सरकार बनाम रूकमा	नम्बर व तारीख

लगानी के आवंटन की मांग की गई है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का स्वरूप गैर मुमकिन चाह होने में किसी प्रकार की कोई अतिश्योक्ति नहीं है। तहसीलदार, टोंक द्वारा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 13–11–1990 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आराजी जैर का आवंटन करते हुए स्वयं यह अभिलिखित किया गया है कि अप्रार्थी खसरा नम्बर 3143 रकबा 03 बिस्वा भूमि कुएं की भूमि से सिंचाई कर रहा है। विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 चाह रही है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गैर मुमकिन अंगोर, नदी–नाला, कुएं'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः–

> **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-
>
> (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**
>
> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
>
> (i) Pasture Land
>
> (ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

विवादग्रस्त भूमि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 चाह की भूमि अंकित होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। अतः इस प्रकार की भूमियां न तो तहत किन्हीं व्यक्तियों को निजी आवंटन/नियमन की जा सकती है और ना ही ऐसी भूमि में निजी खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक द्वारा मण्डल को सबंधित विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स अभिशंषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक भूल व त्रुटि नहीं की है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./5483/2000/टोंक सरकार बनाम रूकमा	नम्बर व तारीख
	प्रकरण में जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है, चूंकि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप प्रारम्भ से ही गैर मुमकिन चाह दर्ज रिकार्ड रहा है तथा ऐसी भूमि के आवंटन को राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार विधि विरूद्ध माना गया है तथा ऐसे अविधिक आवंटन को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के माध्यम से निरस्त करने की अधिकारिता मण्डल में निहित होने के आधार पर ही जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन को निरस्त करने हेतु उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मण्डल को अभिशंषित किया गया है। लिहाजा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यों की भिन्नता के कारण अप्रार्थी को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं करते है। अतः रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3143 रकबा 03 बिस्वा वाके ग्राम गर्बी जिला टोंक से अप्रार्थी के नियमन एवं नामान्तरणकरण संख्या 448 दिनांक 27-11-1990 को निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी के खाते में अंकित उक्त विवादग्रस्त आराजी को पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार बिला नाम सरकार गैर मुमकिन कुएं दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख अविलम्ब भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेश कुमार दड़िया)** सदस्य	